न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रकरण संख्या
29/2021

फैसल दिनांक
27.01.2022

अनवान

1. नोला पिता कजोड डांगी उम्र वयस्क निवासी तेजपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. वरदा पिता लच्छा डांगी उम्र वयस्क निवासी तेजपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
3. रामलाल पिता सवा डांगी उम्र वयस्क निवासी तेजपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
4. रूपलाल पिता चतुर्भुज डांगी उम्र वयस्क निवासी तेजपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
5. कालु पिता शंकर डांगी उम्र वयस्क निवासी तेजपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

.........वादीगण

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़।
3. भंवरीदेवी चौधरी पत्नि भागीरथ चौधरी उम्र वयस्क निवासी चोयल हाउस शांतिनगर के पास वाटरवर्क्स अजमेर रोड बाई पास मदनगंज किशनगंज जिला अजमेर राजस्थान

.........प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अंतर्गत धारा 88,188,209 राज0काश्त0अधिनियम,1955</u>

उपस्थित - श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया वकील वादी

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,188,209 रा0का0अधि0 का वाद ऑर्डर 7 नियम 1, 2 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

जपुरा प०ह० नन्नाणा तहसील भदेसर में पुरानी आ.नं. 335 किस्म हाड बंजड के रूप में दर्ज रेकार्ड स्थित थी, उसके बाद दिनांक 17.07.1989 को उक्त आराजीयात में से निजी वन विकास हेतु वादीगण को पृथक-पृथक नामांतरण आदेश द्वारा उक्त आराजीयात में से 4 -4 बीघा भूमि आवंटित की जाकर वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

नामांतरकरण संख्या	पुराना आ.नं.	रकबा	नवीन आ.नं.	रकबा
154	335/1	4 बीघा	575	1.01
155	335/2	4 बीघा	576	1.01
156	335/3	4 बीघा	577	1.01
157	335/4	4 बीघा	578	1.01
158	335/5	4 बीघा	579	1.01

उक्त अनुसार मूल साबिक आ.नं. 335 में से आ.नं. 335/1 रकबा 4 बीघा भूमि वादी नं. 01 नोला को एवं आ.नं. 335/2 रकबा 4 बीघा भूमि वादी सं. 02 वरदा को, आ.नं. 335/3 रकबा 4 बीघा भूमि वादी सं. 03 रामलाल को, आ.नं. 335/4 रकबा 4 बीघा भूमि वादी संख्या 04 रूपलाल को तथा आ.नं. 335/5 रकबा 4 बीघा भूमि वादी संख्या 05 कालू को निजी वन विकास हेतु भूमि आवंटित की गई। साक्ष्य मे नकल जमाबंदी, मिलान क्षैत्रफल, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत है।

यह कि प्रत्येक वादीगण के नाम से 4, 4 बीघा भूमि मुल साबिक नम्बर 335 में से निजी वन विकास हेतु आवंटित होने के बाद उक्त आवंटित भूमि वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई तब से वादीगण उक्त आराजीयात पर वक्त आवंटन यानि दिनांक 17.07.1989 से विगत 30 वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर उक्त आवंटनशुदा भूमि पर वृक्षारोपण कर निजी वन के रूप में विकसित कर उपजाऊ मिट्टी डलवाई व अपने जीवनभर की कमाई उक्त आराजीयात को विकसित करने में लगा दी एवं उक्त आवंटनशुदा भूमि पर वादीगण शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के बेरोक टोक उपयोग उपभोग करते आ रहे है इसलिये उक्त आराजीयात पर लगातार कब्जे के आधार पर भी वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं विधि अनुसार धारा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

3(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण उक्त आवंटनशुदा भूमि को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण को अभी हाल ही में ही प्रतिवादी सं. 03 के माध्यम से पता चला की वादीगण को आवंटित भूमि को प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 के दिशा निर्देश पर प्रतिवादी सं. 03 को खनन कार्य हेतु लीज पर सौंपी जा रही है। इस पर हाल ही में जब वादीगण ने संबंधित राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तब वादीगण को पता चला की उक्त भूमि बिना वादीगण की जानकारी के राजस्थान सरकार के नाम पर दर्ज होकर किस्म बंजड दर्ज कर दी गई है तब वादीगण को जानकारी होते ही वादीगण ने प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 से सम्पर्क किया ओर उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने का अनुरोध किया तथा उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 03 को खनन लीज पर नहीं दिये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने टालचाल की एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण को उनकी निजी वन हेतु आवंटित भूमि से बेदखल करने का असफल प्रयास किया इसलिये वादीगण को यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत करना पड रहा है।

यह कि अभी हाल ही में प्रतिवादी सं. 03 ने मौके पर आकर वादीगण को कहा की यह भूमि मैनें खनन लीज पर ली है इसलिये तुम्हे बेदखल करके रहेगें और पेडो को काटकर खनन कार्य करेगें तथा इसी नियत से दिनांक 14.01.2021 को प्रतिवादी सं. 03 ने वादीगण को बेदखल करने एवं वृक्षो को काट कर नष्ट करने का असफल प्रयास किया जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 से उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करने व वृक्षो को नहीं काटने का अनुरोध किया परंतु वे मानने को तैयार नहीं है इसलिये वादीगण का यह वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड रहा है।

यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जाकर पाबंद फरमाया जावे कि वो उक्त मुल साबिक आ.नं. 335 में से वादीगण को निजी वन विकास हेतु आवंटित नवीन आराजी नम्बर 575,576,577,578 एवं 579 में से किसी भू भाग पर प्रतिवादी सं. 03 के नाम से खनन हेतु लीज आवंटन नहीं करे न अन्य से करावे तथा प्रतिवादी सं. 03 को प्रतिबंधित किया जावे कि वो वादीगण द्वारा उनकी आवंटितशुदा भूमि पर लगाये गये वृक्षान को किसी

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

कार से नहीं काटे न अपने नौकर, एजेंट से कटवाये एवं उन्हें किसी कार से नष्ट नहीं करे एवं खनन कार्य नहीं करे ना किसी अन्य से करावे।

यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादकारण दिनांक 14.01.2021 से निरंतर चल रहा है जबकि प्रतिवादी नं. 03 ने वादीगण को वादग्रस्त निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि से जबरन बेदखल करने व वृक्षो को काटने का असफल प्रयास किया एवं वादीगण द्वारा समझाने पर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है से पेदा होकर अंदर अवधि पेश है।

यह कि प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण की आवंटनशुदा भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहे है ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिए धारा 80 (2) जा.दी. का आवेदन मय शपथ पत्र के अलग से पेश है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि :-

(1) वाद पत्र की कलम सं. 01 में वर्णित मुल साबिक आराजी नम्बर 335 में से वादीगण को पृथक पृथक नामांतरकरण द्वारा 4, 4 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु दिनांक 17.07.1989 को आवंटित हुई तभी से लगातार वादीगण उक्त आवंटनशुदा आराजी नम्बर 335/1, 335/2, 335/3, 335/4, 335/5 जिसके नये आरजी नम्बर 575, 576, 577, 578, 579 प्रत्येक का रकबा 1.01 हैक्टेयर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति पारित फरमाई जावे एंव इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

(2) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण को आवंटितशुदा आराजीयात से बेदखल नहीं करे ना हि किसी अन्य से करावे एवं विवादित आराजीयात किसी अन्य को आवंटित

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

हीं करे एवं ना किसी प्रकार की दखलंदाजी करे। तथा वृक्षो को काटकर
ष्ट नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 03 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया।

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा तेजपुरा प0ह0 नन्नाणा में वादीगण को पृथक पृथक नामांतरकरण आदेश द्वारा साबिक आराजी नम्बर 335 में से 4, 4 बीघा भूमि आवंटन की गई। उक्त आवंटित भूमि वादीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई तभी से वादीगण दिनांक 17.07.1989 से काबिज होकर उक्त आराजीयात को विकसित करने हेतु उपजाऊ मिट्टी डलवाई ओर जीवनभर की कमाई आराजीयात को विकसित करनें में लगा दी इसलिये लगातार कब्जे के आधार पर भी वादीगण को भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुक है। अतः वादीगण उक्त भूमि के नवीन आराजी नम्बर 575, 576, 577, 578, 579 प्रत्येक 1.01 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया जिससे जाहिर आया कि साबिक आरजी नम्बर 335/1, 335/2 एवं 335/3 जिसका रकबा प्रत्येक का 4 बीघा है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 03 भंवरी देवी पत्नि भागीरथ चौधरी को खनन कार्य हेतु खनिज विभाग द्वारा लीज पर दी जा चुकी है। इसलिये वादी सं. 01 नोला, वादी सं. 02 वरदा एवं वादी सं. 03 रामलाल को खातेदारी अधिकारी प्रदत्त नहीं किये जा सकते है एवं वादी सं. 04 रूपलाल पिता चतुर्भुज डांगी जिसे आराजी नम्बर 335/4 रकबा 4 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 578 रकबा 1.01 हैक्टेयर एवं वादी सं. 05 कालु पिता शंकर डांगी जिसे आराजी नम्बर 335/5 रकबा 4 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 579 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादीगण आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कि मौजा तेजपुरा प0ह0 नन्नाणा के साबिक आरजी नम्बर 335/1, 335/2 एवं 335/3 जिसका रकबा प्रत्येक का 4 बीघा है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 03 भंवरी देवी पत्नि भागीरथ चौधरी को खनन कार्य हेतु खनिज विभाग द्वारा लीज पर दी जा चुकी है। इसलिये वादी सं. 01 नोला, वादी सं. 02 वरदा एवं वादी सं. 03 रामलाल को खातेदारी अधिकारी प्रदत्त नहीं किये जा सकते है एवं वादी सं. 04 रूपलाल पिता चतुर्भुज डांगी जिसे आराजी नम्बर 335/4 रकबा 4 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 578 रकबा 1.01 हैक्टेयर एवं वादी सं. 05 कालु पिता शंकर डांगी जिसे आराजी नम्बर 335/5 रकबा 4 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 579 रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमलदारामद किया जावें। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Scanned with CamScanner